11.05.2024 **प्रकरण आज दिनांक को आयोजित नेशनल लोक अदालत की खण्ड पीठ क्रमांक–27 में प्रस्तुत।**

परिवादी अनुपस्थित, द्वारा श्री आर0एस0 द्विवेदी अधि0 उपस्थित।

अभियुक्त अनुपस्थित।

प्रकरण राजीनामा आवेदन–पत्र पर विचार हेतु नियत है।

पूर्व पेशी दिनांक को परिवादी ने न्यायालय में उपस्थित होकर व्यक्त किया कि, उसे प्रश्नगत चैक की संपूर्ण राशि प्राप्त हो चुकी है तथा वह प्रकरण को आगे नहीं चलाना चाहता है, जिसके आलोक में प्रकरण लोक अदालत के समक्ष रखा गया।

प्रकरण का अवलोकन किया गया।

अवलोकन से यह दर्शित है कि, प्रकरण पूर्व में अभियुक्त की उपस्थिति हेतु नियत रहा है तथा परिवादी द्वारा हस्तगत परिवाद अभियुक्त के विरूद्ध धारा–138 परक्राम्य लिखत अधि0 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध के संबंध में प्रस्तुत किया गया है। प्रकरण विचारण के प्रारंभिक स्तर पर है। ऐसी स्थिति में शमन शुल्क अधिरोपित किया जाना अपेक्षित नहीं है।

परिवादी ने अपनी पहचान के संबंध में स्वयं का आधार कार्ड प्रस्तुत किया है तथा परिवादी की पहचान श्री आर0एस0 द्विवेदी अधि0 द्वारा की गई है। प्रकरण में परिवादी राजीनामा करने हेतु सक्षम पक्षकार है। अतः परिवादी द्वारा प्रस्तुत राजीनामा आवेदन स्वीकार कर अपराध का शमन स्वीकार किया जाता है और अभियुक्त को धारा–138 परक्राम्य लिखत अधि0 के आरोप से **''दोषमुक्त''** किया जाता है।

परिवादी को न्यायालय शुल्क वापसी का प्रमाण–पत्र दिया जावे।

प्रकरण का परिणाम सी0आई0एस0 में दर्ज कर प्रकरण विहित समयावधि में अभिलेखागार प्रेषित किया जाए।

सदस्य क्रं0–01	पीठासीन अधिकारी
श्री रामदयाल मीणा सामाजिक कार्यकर्ता	**(ऋषिराज मिश्रा)** न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भानपुरा, जिला–मंदसौर (म0प्र0)

RISHI RAJ MISHRA

Digitally signed by RISHI RAJ MISHRA
Date: 2024.05.11 17:20:04 +0000